अध्याय 6

शास्तियां (दण्ड)

धारा 24. पशुओं के अधिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करने या छुड़ाने के लिये शास्ति - जो कोई इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय पशुओं का बलपूर्वक विरोध करेगा और जो कोई अधिग्रहण के पश्चात् उन्हें या तो कांजीहौस से, या उन्हें कांजीहौस को ले जा रहे या ले जाने वाले किसी व्यक्ति से, जो पास में हो या इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य कर रहा हो, छुड़ावेगा, वह मजिस्ट्रेट के पास दोषसिद्ध होने पर छः मास से अनाधिक की कालावधि के लिये कारावास से या पांच सौ रू. से अनाधिक राशि के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जावेगा।

धारा 25. पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के लिये शास्ति वसूली - पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के लिये शास्ति के लिये शास्ति की वसूली, ठीक आगामी धारा के अधीन या पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार करने से हुई रिष्टि के अपराध के लिये अधिरोपित कोई जुर्माना उन सब पशुओं या उनमें से किसी के विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा जिनके द्वारा अतिचार किया गया था चाहे वे अतिचार करते हुए अभिग्रहित किये गये थे या नहीं, और चाहे वे अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति की सम्पति हों या अतिचार किये जाने के समय उसके भाराधीन ही हों।

धारा 26. सुअरों द्वारा भूमि या फसलों अथवा सार्वजनिक सड़कों को किये गये नुकसान के लिये शास्ति - सुअरों का कोई स्वामी या रखवाला जो किसी भूमि या भूमि की फसल या उपज अथवा सार्वजनिक सड़क पर ऐसे सुअरों को अतिचार करने देते हुए उपेक्षा से या अन्यथा उसका नुकसान करेगा अथवा करने देगा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर दस रु. से अनाधिक राशि के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निर्देश दे सकेगी कि उस धारा का पूर्वगामी भाग ऐसे पढ़ा जायेगा मानों उसमें केवल सुअरों के प्रति निर्देश के स्थान पर अधिसूचना में वर्णित पशुओं के प्रति निर्देश हो तथा "दस रुपये" शब्द के लिये "पचास रुपया" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गये हों अथवा उसमें ऐसा निर्देश व प्रति स्थापना दोनों हों।

धारा 26 अ. अपराध का संज्ञान - कोई भी न्यायालय कोई भी अपराध जो धारा 26 के अधीन दण्डनीय है, का संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक तथ्यों को समाविष्ट करते हुए कि अपराध हुआ है, लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपराध से ग्रसित हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक हो, प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

धारा 27. कर्त्तव्य पालन में असफल रहने वाले कांजीहौस रखवाले पर शास्ति - कोई कांजीहौस रखवाला जो धारा 19 के उपबंधों के प्रतिकूल पशुओं का निर्मोचन अथवा क्रय या परिदान करेगा या किन्ही परिबद्ध पशुओं के लिये पर्याप्त खाने व जल की व्यवस्था करने में लोप करेगा या इस अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित अन्य कर्त्तव्य में से किसी के पालने करने में असफल रहेगा, वह किसी अन्य शास्ति के अलावा, जिसके वह दायित्वधीन हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर पचास रुपये से अनधिक राशि के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, ऐसे जुर्माने कांजीहौस रखवाले के वेतन में से कटौतियों द्वारा वसूल किये जा सकेंगे।

धारा 28. धारा 25, 26, 27, के अधीन वसूल किये जुर्माने का उपयोजन - धारा 25, 26 या 27 के अधीन वसूल किये गये सब जुर्माने सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट का समाधान पूर्वक रूप से साबित, हानि या नुकसान के लिये प्रतिकार के रूप में पूर्णतः या भागतः विनियोजित किये जा सकेंगे।